

# कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाषनम्बर0141-2712993

Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-एडीपीसी/समसा/जय/व्या.शि./करियर फेयर/ 2025-26/

दिनांक:-

## प्रशासनिक, वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति आदेश

स्टार्स परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2024-25 अन्तर्गत जिले के क्लस्टर राजकीय विद्यालयों में एक दिवसीय कैरियर मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक राजकाज रैफ नं. 19061783 दिनांक 29.11.2025 एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 19661489 दिनांक 02.01.2026 की अनुपालना में पूर्व वित्तीय वर्ष में आयोजित गतिविधि School Career Education fare and parent teacher meet for all senior secondary schools of state गतिविधि हेतु विद्यालय स्तर पर राशि 15000 अनुमोदित की गई है। निम्नानुसार राशि की ब्लॉकवार Single Nodle Account खाते में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का समग्र शिक्षा के संचालन पोर्टल Single Nodle Account (SNA) खाता संख्या 50100459459490 HDFC मालवीय नगर जयपुर से आपके ब्लॉक के सम्मुख अंकित आहरण सीमा तक राशि आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	कुल पीईईओ / यूसीईईओ	आहरण सीमा No of Peeo/Uceeo@15000
1	AMBER	25	375000
2	ANDHI	26	390000
3	BASSI	31	465000
4	CHAKSU	26	390000
5	DUDU	19	285000
6	GOVINDGARH	50	750000
7	JAIPUR EAST	11	165000
8	JAIPUR WEST	12	180000
9	JALSU	34	510000
10	JAMAWA RAMGARH	35	525000
11	JHOTWARA	19	285000
12	JHOTWARA CITY	9	135000
13	JOBNER	23	345000
14	KISHANGARH RENWAL	26	390000
15	KOTKHAWADA	21	315000
16	KOTPUTLI	39	585000
17	MADHORAJPURA	19	285000
18	MAUZAMABAD	21	315000
19	PAOTA	31	465000
20	PHAGI	20	300000



21	SAMBHAR LAKE	24	360000
22	SANGANER	32	480000
23	SANGANER CITY	8	120000
24	SHAHPURA	38	570000
25	TUNGA	24	360000
26	VIRATNAGAR	33	495000
<b>Grand Total</b>		<b>656</b>	<b>9840000</b>

नोट:- उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025-26 की स्वीकृत अनुसार आवर्ती मद से किया जाना है।
3. इस राशि का व्यय वर्ष 2025-26 के प्रावधान के विरुद्ध किया जाना है।
4. राशि का उपयोग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम खण्ड 2013 के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

(ओम प्रकाश सैनी)

अति. जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूलशिप जयपुर।
2. उपायुक्त (व्या.शि.) रास्कूलशिप जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. सम्बन्धित सीबीईईओ को भेजकर लेख है कि संलग्न विद्यालय अनुसार स्टार से बिल बनाना सुनिश्चित करें।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय को भेजकर लेख है कि ब्लॉकवार लिमिट जारी करना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति.जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर